संख्याः– 230 /XXVII (1)/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
(संलग्न विवरणानुसार)
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादूनः: दिनांकः 07 :अप्रैल,2011

विषयः– 13वॉ वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011–12 में वर्ष 2010–11 की द्वितीय किश्त हेतु धनराशि का संक्रमण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों को चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में वर्ष 2010–11 की द्वितीय किश्त हेतु कुल धनराशि **₹53700000.00 (₹पाँच करोड़ सैंतीस लाख मात्र)** को संलग्नक के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2– संक्रमित की जा रही धनराशि वेतन एवं भत्तों आदि पर व्यय नही की जा सकेगी।

3– 13वॉ वित्त आयोग द्वारा संस्तुति की गई है कि संक्रमित धनराशि से निम्न कार्य कराये जा सकते हैं:–

(1) पथ प्रकाश (2) पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण (3) स्वच्छता (4) पेयजल (5) परिसम्पत्तियों का निर्माण (6) स्वजल धारा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित जलापूर्ति परिसम्पत्तियों को अपने हाथ में लेकर उनका अनुरक्षण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त परिसम्पत्तियों के निर्माण आदि कार्य किये जाने चाहिए।

4– जिला पंचातयों को संक्रमित की गई धनराशि कोषागार से आहरण करने हेतु बिल जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा तैयार किए जाएंगे जिसे जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा।

5– जिला पंचायत राज अधिकारी प्रत्येक स्थिति में एक सप्ताह के अन्दर सम्बंधित जिला पंचायत को धनराशि चैक/ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

6– अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र अध्यक्ष जिला पंचायत के प्रतिहस्ताक्षर कराकर दिनांक 31 जुलाई, 2011 तक उपलब्ध करायेंगे। समय से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने पर भारत सरकार द्वारा अगली किश्त की धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी। **यदि उपयोगिता प्रमाण–पत्र के विलम्ब के कारण कोई धनराशि लैप्स होती है तो उसके लिये अपर मुख्य अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।**

7– संक्रमित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।

8– संक्रमित धनराशि का उपयोग केवल उसी कार्य हेतु किया जायेगा जिस कार्य के लिए धनराशि आवंटित की गई है। इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

9– संक्रमित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए विभागीय अधिकारी/ मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

10– संक्रमित की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–02–पंचायती राज संस्थायें– 196–जिला पंचायतें/परिषदें–01 -केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0103–13वॉं वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

संलग्नकः– यथोक्त।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

संख्या 230 / XXVII (1) / 2011, तद्दिनांकः—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल / कुमाँऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, पंचायतीराज,उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक,भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग,वित्त आयोग प्रभाग, ब्लाक 11, पंचम तल सी0जी0ओ0 कोम्पलेक्स नई दिल्ली।
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
9. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी,उत्तराखण्ड शासन।
10. वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
11. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर,देहरादून।

आज्ञा से,

(आर.सी. अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।

शासनादेश संख्याः 230 /XXVII (1) / 2011
दिनांकः 07 :अप्रैल,2011 का संलग्नक।

13वॉ वित्त आयोग द्वारा संस्तुत जिला पंचायतों को वर्ष 2010—11 हेतु देय द्वितीय किश्त की धनराशि।

(धनराशि हजार ₹ में)

क्र0सं0	जिला पंचायत	वर्ष 2010—11 हेतु देय द्वितीय किश्त
1	2	3
1	अल्मोड़ा	4590
2	बागेश्वर	1626
3	चमोली	3823
4	चम्पावत	1383
5	देहरादून	4401
6	हरिद्वार	6036
7	नैनीताल	3056
8	पौड़ी गढ़वाल	11184
9	पिथौरागढ़	3942
10	रुद्रप्रयाग	1689
11	टिहरी गढ़वाल	4480
12	उत्तरकाशी	2951
13	ऊधमसिंह नगर	4539
	योगः—	53700

(₹पाँच करोड़ सैतीस लाख मात्र)

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।